प्रेसनोट – 05.09.2026

आज दिनांक 05.09.2026 को तहसील मधुबन में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मुख्य विकास अधिकारी मऊ श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आज दिनांक 05.09.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा थाना मधुबन का औचक निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा थाना कार्यालय के त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर, आदि का अवलोकन किया गया तथा अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने व गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, एचएस में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान भ्रमण कर सीसीटीएनएस कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदीगृह, बैरक, भोजनालय, शस्त्रागार, शौचालय, थाना परिसर मे लगे कैमरो आदि का निरीक्षण किया गया तथा सर्वसम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी से प्रार्थना पत्रों को गम्भीरतपूर्वक सुनने तथा निस्तारण के बाद नियमित फीडबैक लेने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही साथ थाना परिसर में भ्रमण कर साफ- सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा साफ सफाई उच्च स्तर का बनाये रखने हेतु थानाध्यक्ष मधुबन व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मधुबन श्री कृष्ण कुमार गुप्ता व अन्य पुलिस बल मौजूद रहे।

पुरस्कार घोषित गोकशी के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व 01 नफर बाल अपचारी पुलिस हिरासत में

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सतेन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना कोपागंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.09.2026 को मु0अ0सं0 106/2026 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित 25 -25 हजार रूपये की धनराशि से पुरस्कार घोषित व वांछित अभियुक्त जाकिर पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम

लाड़नपुर चेलाराम का पुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार व एक नफर बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में RE PARK खावड़ा थाना खवड़ा जनपद पश्चिम कच्छ गुजरात से दिनांक 03.09.2026 को लेकर स्वीकृत ट्रांजिट रिमांड पर थाना कोपागंज जनपद मऊ लाकर अभियुक्त व बाल अपचारी का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 106/2026 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. जाकिर पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम लाड़नपुर चेलाराम का पुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. एक नफर बाल अपचारी।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 03.09.2026

2.स्थान- RE PARK खावड़ा थाना खवड़ा जनपद पश्चिम कच्छ गुजरात।

पुरस्कार घोषित की धनराशि

1. 25 – 25 हजार रूपया।

टोटो चोरी के मामले में वांछित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद व एक अभियुक्त के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.09.2026 को सी.एम.ओ. कार्यालय मऊ के पास रोड के किनारे से मु0अ0सं0 254/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 111(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.शमशाद अहमद पुत्र नेसार अहमद निवासी बुनकर कालोनी, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ, उम्र करीब 30 वर्ष, 2. सरफराज पुत्र अजीज उल हसन निवासी औरंगाबाद सहन, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का सामान एक अदद ई-रिक्शा, वाहन संख्या UP54 BT 3306 बरामद किया गया। अभियुक्त सरफराज उपरोक्त की जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामद चाकू के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत न कर पाने पर उसके विरुद्ध मु0अ0सं0 255/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनकी मुलाकात जेल में हुई थी तथा जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने मिलकर चोरी करने की योजना बनाई थी। दोनों अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 03.09.2026 की रात्रि में मुंशीपुरा यतीमखाना के पास से उक्त ई-रिक्शा दोनों ने मिलकर चोरी

किया था तथा उसे बेचने के उद्देश्य से लेकर घूम रहे थे। अभियुक्तों की निशानदेही/कब्जे से बरामद ई-रिक्शा का नम्बर UP54 BT 3306 पाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1.शमशाद अहमद पुत्र नेसार अहमद, निवासी बुनकर कालोनी, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।

2.सरफराज पुत्र अजीज उल हसन, निवासी औरंगाबाद सहन, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण

1. चोरी का एक अदद ई-रिक्शा, वाहन संख्या UP54 BT 3306
2. एक अदद नाजायज चाकू, अभियुक्त सरफराज के कब्जे से
3. ई-रिक्शा में लगी 04 अदद बैटरियां

आपराधिक इतिहास का विवरण अभियुक्त शमशाद अहमद

1.मु0अ0सं0 254/2026, धारा 303(2), 317(2), 317(4), 111(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 421/25 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएसस थाना कोतवाली नगर मऊ।

3.मु0अ0सं0 428/25 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर , मऊ।

4.मु0अ0सं0 203/22 धारा 120-B, 380, 411, 457 भादवि थाना सरायलखंसी , मऊ।

5.मु0अ0सं0 250/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायलखंसी , मऊ।

6.मु0अ0सं0 14/23 धारा 379/411 भादवि थाना सरायलखंसी , मऊ।

7.मु0अ0सं0 06/24 धारा 2/3(1) उ0प्र0गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायलखंसी , मऊ।

8.मु0अ0सं0 392/19, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास का विवरण अभियुक्त सरफराज अहमद

1.मु0अ0सं0 254/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 255/2026, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

3.मु0अ0सं0 164/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, मऊ।

4.मु0अ0सं0 210/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

5.मु0अ0सं0 206/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

6.मु0अ0सं0 126/24 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक: 05.09.2026

2.स्थान: सी.एम.ओ. कार्यालय मऊ के पास रोड के किनारे, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 05.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा

प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1. मोती राम पुत्र स्व० बसगित निवासी: ग्राम दिलशादपुर, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ, 2. मुखराम पुत्र स्व० बसगित निवासी: ग्राम दिलशादपुर, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ, 3. बालचन्द्र पुत्र किशुन निवासी: ग्राम दिलशादपुर, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ, व 4. शिवबचन पुत्र स्व० शम्भू निवासी: ग्राम दिलशादपुर, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 74,047/- (चौहत्तर हजार सैतालिस रूपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 05.09.2026 को मोबाइल पर फोन करके यूपीआई के माध्यम से पीड़ित /आवेदक मो0 शाहिद निवासी कोतवाली नगर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 74,047/- (चौहत्तर हजार सैतालिस रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 05.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 32 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1320 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 307 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 04 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को

हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद द्वारा अपराध से अर्जित धन अपनी पत्नी के नाम बनवाया गया तीन मंजिला मकान अनुमानित कीमत लगभग 93,53,000 (तिरानवे लाख तिरपन हजार रूपये) के धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना कोपागंज रोहन राकेश सिंह द्वारा प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0स0 534/2025 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय के आदेश दिनांक 13.08.2026, वाद संख्या 2251/2026, बनाम मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद, अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में निर्गत आदेशों के अनुपालन में आज दिनांक 05.09.2026 को श्रीमान् क्षेत्राधिकारी घोसी महोदय श्री सतेन्द्र भूषण तिवारी मय हमराह व उक्त सम्पत्ति के नियुक्त रिसीवर/संरक्षक श्रीमान् तहसीलदार घोसी जनपद मऊ श्री अनीश सिंह मय टीम की उपस्थित मे अभियुक्त मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद पुत्र स्व0 हाजी अंसार निवासी करीमुद्दीनपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी पत्नी शबाना बेगम के नाम से बनवाया गया मकान, जिसका विवरण निम्नवत है :-मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 421, आवासीय रकबा 1404 वर्गफीट, आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित तीन मंजिला मकान, जिसका विवरण निम्नवत है :-मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 421, आवासीय रकबा 1404 वर्गफीट, आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित तीन मंजिला मकान, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :- उत्तर: मकान कमाल,दक्षिण: मकान सुबहान, पूरब: मकान इमरान, पश्चिम: रास्ता है कुल किमत 93,53,000 (तिरानवे लाख तिरपन हजार रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी।

कुर्क/जब्तीकरण माल का विवरण

अभियुक्त मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद पुत्र स्व0 हाजी अंसार निवासी करीमुद्दीनपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी पत्नी शबाना बेगम के नाम से बनवाया गया भवन, जिसका विवरण निम्नवत है :-मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 421, आवासीय रकबा 1404 वर्गफीट, आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित तीन मंजिला मकान, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :- उत्तर: मकान कमाल,दक्षिण: मकान सुबहान, पूरब: मकान इमरान, पश्चिम: रास्ता, जिसकी वर्तमान अनुमानित मुल्य 93,53,000 (तिरानवे लाख तिरपन हजार रूपये) है।

नोट - जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध "अपराध से अर्जित सम्पत्ति पर प्रहार" की नीति के अन्तर्गत भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी एवं कठोर विधिक कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

दुष्कर्म मामले से संबंधित 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.09.2026 को तुलसीपुर कुढवा के पास से मु0अ0सं0 309/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का विवरण

उक्त बाल अपचारी द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया उक्त बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।